

राजस्थान सरकार

सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक:एफ 13( )ब.घो. 18-19/अनुप्रतियो./सान्ध्याअवि/18/ 30706-716 जयपुर, दिनांक : ५.६.२४

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/

सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग,

विषय : संशोधित अनुप्रति योजना नियम - 2018 में राजकीय मेडिकल  
कॉलेज जोड़े जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13 ( )ब.घो. 18-19/अनुप्रति यो./सान्ध्याअवि/18/ 62918 दिनांक 14.08.18 के द्वारा संशोधित अनुप्रति योजना नियम- 2018 जारी किये गये थे। उक्त नियमों के परिशिष्ठ 'ब' पर राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों की सूची है। उक्त सूची में निम्नांकित राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज (राजमेस द्वारा संचालित) और जोड़े जाते हैं :

1. राजकीय मेडिकल कॉलेज, भरतपुर।
2. राजमाता विजय राजे सिंहिंया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा।
3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरू।
4. राजकीय मेडिकल कॉलेज, झूंगरपुर।
5. राजकीय मेडिकल कॉलेज, पाली।

उक्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययन्नरत अभ्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को नियमानुसार स्वीकृत कर अनुप्रति योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि दिया जाना सुनिश्चित करावें।

मृ  
(द्वारका प्रसाद गुप्ता)  
निदेशक